संख्या-932/2018/1866/22-2-2018-17(415)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूजी पुत्र श्री इन्शाह अल्ला निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.08.2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूजी पुत्र श्री इन्शाह अल्ला, जो- ग्राम-बहरोडा, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद के कारण पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 09.02.1989 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रिवाल्वर, कट्टा व रायफल से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-241/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 व 449 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 28.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.04.2018 तक 13 वर्ष 07 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति व जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी फूजी (बन्दी संख्या-13376) पुत्र श्री इन्शाह अल्ला निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-932/2018/1866(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in